Chandan Mukherjee
Deputy Secretary
Tel-FAX. No.23711459
E-mail: chandan@nic.in

भारत सरकार
जल संसाधन, नदी विकास और
गंगा संरक्षण मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन
रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF WATER RESOURCES,
RIVER DEVELOPMENT AND
GANGA REJUVENATION
SHRAM SHAKTI BHAWAN
RAFI MARG, NEW DELHI-110001

AS (IAS)

D.O. No.A.12011/2/2016-E.III/20 — 02.01.2017

Dear Sir,

I am writing to you in connection with filling up of the seven posts of Executive Engineer (Civil) and one post of Executive Engineer (Mechanical) in Farakka Barrage Project, Dist.- Murshidabad, West Bengal which is a subordinate office under the administrative control of this Ministry. These are Group 'A', Gazetted (Non-Ministerial) posts in the pre-revised Pay Band-3, of Rs. 15,600-39,100 with grade pay of Rs. 6,600 (level-11, Rs.67,700/- - 2,08,700/- as per 7th CPC). The Executive Engineer is the in-charge of a Divisional Office under Farakka Barrage Project. These posts will be filled up on deputation basis from the eligible officers of the Central Government or State Government or Union Territories.

2. The advertisement for filling up of these posts has been issued vide this Ministry's letter of even number dated 13.12.2016 which will be published in Employment News very shortly. The advertisement is also available on the website of this Ministry i.e. http://mowr.gov.in under the head vacancies. A copy of our letter is enclosed.

3. It has been felt that, since the Headquarter of the Farakka Barrage Project is at Murshidabad, West Bengal, the officers who are located in West Bengal and neighbouring States may be interested for applying for the aforesaid posts.

4. I shall be grateful if you could give wide publicity to the vacancy advertisement published by this Ministry for the aforesaid posts in your Department/organization and encourage the willing and eligible officers to apply through proper channel.

With regards,

Yours sincerely,

(Chandan Mukherjee)

Dr. Dharmendra Singh Gangwar,
Principal Secretary,
General Administration Department,
Government of Bihar,
Old Secretariat, Patna – 800015.
Fax – 0612- 2217466
Email- secy-par-bih@nic.in

100

सं. ए 12011/2/2016-ई-III/2493-2557

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

***

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,

नई दिल्ली, दिनांक: 9th दिसम्बर, 2016

सेवा में

1. संलग्न सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।
2. संलग्न सूची के अनुसार सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के मुख्य सचिव।
3. संलग्न सूची के अनुसार जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी संगठन।

विषय: जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक अधीनस्थ कार्यालय अर्थात फरक्का बैराज परियोजना में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यपालक अभियंता (सिविल) के सात पद और कार्यपालक अभियंता (मैकेनिकल) का एक पद भरे जाने के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक अधीनस्थ कार्यालय अर्थात फरक्का बैराज परियोजना में वेतन बैंड-3, 15,600 -39,100 रूपए +6600 रूपए ग्रेड वेतन (संशोधन पूर्व) के वेतनमान में **कार्यपालक अभियंता (सिविल) के सात पद और कार्यपालक अभियंता (मैकेनिकल) का एक पद** केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र में कार्य कर रहे उपयुक्त एवं पात्र अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने का प्रस्ताव है। पद के लिए अपेक्षित पात्रता शर्तें, योग्यता और अनुभव तथा अन्य ब्यौरा **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

2. अनुरोध है कि उपयुक्त एवं पात्र अधिकारियों, जिन्हें चयन हो जाने पर तत्काल कार्यमुक्त किया जा सकता है, के आवेदन (चार प्रतियों) में **श्री आर एन दीक्षित, अवर सचिव (स्थापना-III एवं संसद अनुभाग), चौथा तल (कमरा सं. 435), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001** को इस विज्ञापन के इम्पलॉइमेंट न्यूज / रोजगार समाचार में प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर भिजवाये जा सकते हैं।

3. केवल उन्हीं अधिकारियों/उम्मीदवारों के आवेदनों पर विचार किया जायेगा जो उचित माध्यम से भेजे जायेंगे और उनके साथ (i) अनुलग्नक-2 में दिए गए प्रोफार्मा में जीवन-वृत

101

(चार प्रतियां), (ii) पिछले पांच वर्षों की एसीआर /एपीआर की फोटो प्रतियां जो एक ऐसे अधिकारी द्वारा अधि-प्रमाणित हों जिसका स्तर अवर सचिव से कम न हो, (iii) अनुलग्नक-3 में दिए गए अनुसार सतर्कता निकासी, (iv) अनुलग्नक -4 में दिए गए अनुसार अधिकारी पर पिछले 10 वर्षों में लगायी गयी कोई बड़ी अथवा छोटी शास्ति, यदि कोई हो, का विवरण, (iv) अनुलग्नक -5 में दिए गए अनुसार सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र और (vi) काडर क्लीयरेंस दस्तावेज संलग्न होंगे। अनुलग्नक-2 से 5 इस मंत्रालय की वेबसाइट (http://wrmin.nic.in) पर उपलब्ध हैं और वहां से इन्हें डाउन लोड किया जा सकता है।

4. अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद अथवा निर्धारित दस्तावेजों के बिना अथवा अन्य किसी रूप में अपूर्ण पाये गए अथवा निर्धारित प्रोफार्मा में न होने की सूरत में प्राप्त आवेदनों को मंजूर नहीं किया जायेगा। पद के लिए चयन हो जाने पर अधिकारियों को अपनी उम्मीदवारी वापिस लेने की अनुमति नहीं होगी।

5. आवेदन अग्रेषित करने से पहले सक्षम अधिकारी इसकी पुष्टि अवश्य कर लें कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना उनके सेवा अभिलेख से सत्यापित कर ली गयी है और उसे ठीक पाया गया है तथा आवेदन पर सरकारी मोहर सहित प्रति हस्ताक्षर भी होने चाहिएं। यह भी पुष्टि कर ली जाए कि नियुक्ति के लिए चयन होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी को कार्य मुक्त कर दिया जायेगा।

6. निबंधनों और शर्तों सहित विज्ञापन का ब्यौरा इस मंत्रालय की वेबसाइट (http://wrmin.nic.in) पर उपलब्ध है जिसे वहां देखा जा सकता है।

7. कृपया इसका अपने संगठन की विभिन्न इकाईयों में व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

भवदीय,

चन्दन मुखर्जी

(चन्दन मुखर्जी)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23711459

का. प्रति
सुरेन्द्र कुमार
14/12/2016

संलग्नक : अनुलग्नक 1 से 5

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. महाप्रबंधक, फरक्का बैराज परियोजना। अनुरोध है कि संलग्न विज्ञापन को फरक्का बैराज परियोजना की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करें।
2. श्री आर.एन. दीक्षित, अवर सचिव (स्थापना-III एवं संसद अनुभाग), चौथा तल (कमरा सं. 435) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, श्रम शक्ति, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
3. एनआईसी। अनुरोध है कि संलग्न विज्ञापन को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

अनुलग्नक-I

1	पद का नाम	कार्यपालक अभियंता (सिविल) और कार्यपालक अभियंता (मैकेनिकल)
2	पदों की संख्या	कार्यपालक अभियंता (सिविल) के 07 (सात) पद और कार्यपालक अभियंता (मैकेनिकल) का 01 (एक) पद
3	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अनानुसचिवीय
4	वेतन बैंड	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रूपए (संशोधन पूर्व)
5	ग्रेड वेतन	6600 रूपए (संशोधन पूर्व)
6	प्रतिनियुक्ति की अवधि	प्रतिनियुक्ति की अवधि, इस संगठन अथवा केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य काडर-बाह्य पद की प्रतिनियुक्ति अवधि सहित सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
7	पद के कर्तव्य एवं दायित्व	01. कार्यपालक अभियंता के प्रभाराधीन प्रभागीय कार्यालय एक कार्यकारी इकाई है जो अपने प्रभाराधीन कार्यों के तीव्र एवं मितव्ययी निष्पादन के लिए जन शक्ति, सामग्री और मशीनरी के अधिप्रापण से सम्बद्ध है और कार्यों, लेखों के समुचित रख-रखाव तथा विभिन्न पक्षों जैसे ठेकेदारों एवं आपूर्तिकारों के साथ किए गए अनुबंधों की शर्तों के कार्यान्वयन के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। 02. कार्यपालक अभियंता प्रभागीय अधिकारी होने के नाते प्रभाग से सम्बद्ध कनिष्ठ लेखा अधिकारी/प्रभागीय लेखाकार के माध्यम से कार्यों एवं लेखों के ठीक संकलन के लिए भी उत्तरदायी है। प्रभागीय अधिकारी मुख्य तौर पर अपने प्रभाराधीन कार्यों की अनुमानित लागत बढ़ने की संभावना के मामलों में समय पर सूचना देने के लिए उत्तरदायी है। वह अपने प्रभाराधीन महत्वपूर्ण इमारतों एवं निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगा तथा उन्हें अच्छी स्थिति में संरक्षित करने और अपने प्रभाराधीन सरकारी भूमि एवं इमारतों पर अतिक्रमण रोकने के लिए उपयुक्त उपाए करने हेतु उत्तरदायी है। मंडल कार्यालय के विपरीत प्रभागीय कार्यालय में निर्माण कार्यों, प्रशासन, लेखा एवं अनुबंध, तकनीकी मामलों और अधीक्षण अभियंता, महाप्रबंधक तथा केन्द्रीय कार्यालय को

		उच्च अधिकारियों/अन्य विभागों को प्रारंभिक आंकड़े और सूचना भेजने के लिए विभिन्न शाखाएं होती हैं।
8	वेतन एवं भत्ते	चयन किए गए अधिकारी को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.10.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-स्थापना (वेतन II) {समय-समय पर यथा-संशोधित} की शर्तों के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में अपना वेतन नियत कराने का विकल्प होगा।
9	पद के लिए आवश्यक अर्हताएं, अनुभव और पात्रता	**कार्यपालक अभियंता (सिविल) के लिए** केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे अधिकारी- (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; अथवा **(ii)** मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रूपये के वेतनमान और 5400/- रूपये के ग्रेड वेतन (संशोधन पूर्व) अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा दी हो; अथवा **(iii)** जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रूपये के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड वेतन 4800/- रूपए (संशोधन पूर्व) की श्रेणी में छ: वर्ष या ग्रेड वेतन 4600/- रूपये (संशोधन पूर्व) की श्रेणी में सात वर्ष या ग्रेड वेतन 4200/- रूपए (संशोधन पूर्व) की श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की है; अथवा समतुल्य; और (ख) जिसने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की है। **टिप्पणी 1 :** फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति के पात्र हैं उनपर प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होगा । **टिप्पणी 2 :** प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम पात्र सेवा की गणना के उद्देश्य से किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी,

		2006 अथवा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू किए जाने की तारीख से पहले नियमित आधार पर दी गई सेवा को संगत ग्रेड वेतन अथवा उपर्युक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिए गए वेतनमान में दी गई सेवा माना जाएगा, केवल उन मामलों को छोडकर जहां एक से अधिक संशोधन पूर्व वेतनमानों को एक ही ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के साथ एक ग्रेड में मिला दिया गया हो और इन मामलों में यह लाभ केवल उन पदों के लिए लागू होगा जिनके लिए वह ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान किसी स्तरोन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है । **कार्यपालक अभियंता (मैकेनिकल) के लिए** केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे अधिकारी- (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; अथवा **(II)** मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रूपये के वेतनमान और 5400/- रूपये के ग्रेड वेतन (संशोधन पूर्व) अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा दी हो; अथवा **(III)** जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रूपये के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड वेतन 4800/- रूपए (संशोधन पूर्व) की श्रेणी में छ: वर्ष या ग्रेड वेतन 4600/- रूपये (संशोधन पूर्व) की श्रेणी में सात वर्ष या ग्रेड वेतन 4200/- रूपए (संशोधन पूर्व) की श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की है; अथवा समतुल्य; और (ख) जिसने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की है। **टिप्पणी 1 :** फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति के पात्र हैं उनपर प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर

		तैनात अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होगा । **टिप्पणी 2 :** प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम पात्र सेवा की गणना के उद्देश्य से किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 अथवा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू किए जाने की तारीख से पहले नियमित आधार पर दी गई सेवा को संगत ग्रेड वेतन अथवा उपर्युक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिए गए वेतनमान में दी गई सेवा माना जाएगा, केवल उन मामलों को छोडकर जहां एक से अधिक संशोधन पूर्व वेतनमानों को एक ही ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के साथ एक ग्रेड में मिला दिया गया हो और इन मामलों में यह लाभ केवल उन पदों के लिए लागू होगा जिनके लिए वह ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान किसी स्तरोन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है । किसी भी अधिकारी को चयनित होने के बाद आवेदन वापस लेने अथवा सेवाग्रहण करने से इंकार करने की अनुमति नहीं होगी; और यह प्रायोजित करने वाले प्राधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह चयनित अधिकारी को नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त करे ।
10	आयु	प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

अनुलग्नक-2

जीवन-वृत्त प्रपत्र

1. नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में)
   टेलीफोन नंबर
2. जन्म तिथि (ईस्वी सन में)
3. केन्द्र सरकार नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की तारीख
4. शैक्षिक योग्यता
5. क्या आप इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं रखते हैं । (यदि किसी योग्यता को नियमों में निर्धारित किसी योग्यता के समतुल्य माना गया है तो इसके लिए प्राधिकरण का उल्लेख करें)

अपेक्षित योग्यताएं/अनुभव	अधिकारी की योग्यताएं/ अनुभव
अनिवार्य	
वांछित	

6. कृपया आप स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टियों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि क्या आप पद की अपेक्षा पूरी करते हैं
7. कालक्रमानुसार रोजगार के ब्यौरे (यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त है तो अपने हस्ताक्षर द्वारा भली-भांति अधिप्रमाणित अलग से एक शीट संलग्न करें ।) :

कार्यालय/संस्था /संगठन का नाम	धारित पद और सेवा / कैडर जिससे यह संबंधित है	से	तक	वेतन बैंड में वेतन और पद की श्रेणी	कार्य का स्वरूप

8. वर्तमान नियुक्ति का स्वरूप अर्थात
   (I) तदर्थ
   (II) स्थाई /अस्थाई आधार पर
   (iii) वेतन बैंड में वेतन
   (iv) आहरित ग्रेड वेतन
9. वर्तमान पद प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर धारित होने के मामले में कृपया उल्लेख करें
   (क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख
   (ख) प्रतिनियुक्ति/अनुबंध पर नियुक्ति की अवधि
   (ग) आपके मूल कार्यालय/संगठन का नाम
10. वर्तमान रोजगार के विषय में अतिरिक्त विवरण :

कृपया बताएं कि आप किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं-

(क) केन्द्र सरकार

(ख) राज्य सरकार

(ग) स्वायत्त संगठन

(घ) सरकारी उपक्रम

(ङ) विश्वविद्यालय

11. क्या आप संशोधित वेतनमान ले रहे हैं ? यदि हां, तो संशोधन की तारीख बताएं तथा संशोधन पूर्व वेतनमान का भी उल्लेख करें

12. वर्तमान में आहरित कुल मासिक परिलब्धियां

13. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसे आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लिखित करना चाहते हों । यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग से शीट संलग्न करें।

14. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं ।

15. अभ्युक्तियां

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक:

यह पुष्टि की जाती है कि आवेदक द्वारा दी गई सूचना उसके सेवा रिकार्ड से सत्यापित कर ली गई है और सही पायी गयी है।

मूल कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर और मोहर

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक-3

सतर्कता निकासी प्रमाण-पत्र

पुष्टि की जाती है कि डा./श्री/श्रीमती/सुश्री...जिन्होंने ------------------------- में प्रतिनियुक्ति के आधार पर ------------ के पद के लिए आवेदन किया है, के विरूद्ध न तो कोई सतर्कता निकासी अथवा अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अपराधिक कार्रवाई लंबित है और न ही शुरू किए जाने का विचार है।

(प्राधिकृत अधिकारी)
नाम और कार्यालय की मोहर
दिनांक :

अनुलग्नक-4

शास्ति प्रमाण-पत्र

पुष्टि की जाती है कि डा./श्री/श्रीमती/सुश्री...जिन्होंने -------------------------- में प्रतिनियुक्ति के आधार पर ------------ के पद के लिए आवेदन किया है, पर पिछले 10 वर्षों में कोई बड़ी/छोटी शास्ति नहीं लगायी गयी है।

(प्राधिकृत अधिकारी)
नाम और कार्यालय की मोहर
दिनांक :

अनुलग्नक-5

सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र

डा./श्री/श्रीमती/सुश्री...जिन्होंने --------------------में प्रतिनियुक्ति के आधार पर ----------------- के पद के लिए आवेदन किया है, की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की जांच करने के बाद यह प्रमाणित किया जाता है कि उनकी सत्यनिष्ठा में कोई संदेह नहीं है।

(उप सचिव अथवा उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना है)
नाम और कार्यालय की मोहर
दिनांक :

No.A.12011/2/2016-E.III
Government of India
Ministry of Water Resources, RD & GR
*****

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi, Dated: 9th December, 2016

To

1. The Secretaries of all Ministries/ Department of Govt. of India as per list attached.
2. Chief Secretaries All State Govts./UT Administration as per list attached.
3. All organisations under M/o WR, RD & GR as per list attached.

Sub.: Filling up of seven posts of Executive Engineer (Civil) and one post of Executive Engineer (Mechanical) in Farakka Barrage Project, a sub-ordinate office under Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation on deputation basis.

Sir,

I am directed to say that Farakka Barrage Project, sub-ordinate office under Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation proposes to fill up seven posts of Executive Engineer (Civil) and one post of Executive Engineer (Mechanical) in the Pay band-3, Rs.15,600-39,100 + Grade Pay Rs 6,600/- (pre-revised) on deputation basis from amongst suitable and eligible officers working under the Central Government or State Government or Union Territories. The eligibility conditions, qualifications and experience required for the post and other details are given in Annexure-1.

2. It is requested that applications (in quadruplicate) of suitable and eligible officers and who can be spared immediately in the event of selection may be sent to **Shri. R.N. Dixit, Under Secretary (E-III & Parl.), 4th Floor (Room No. 435), Ministry of Water Resources, RD & GR, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001** within a period of **60 days** from the date of publication of this advertisement in the *Employment News / Rozgar Samachar.*

3. Applications of only such officers/candidates will be considered as are routed through proper channel and are accompanied with (i) Bio-data (in quadruplicate) in the Proforma as given in Annexure-2 (ii) Photocopies of ACRs/APARs for the last five years duly attested by an officer not below the rank of Under Secretary (iii) Vigilance clearance as given in Annexure-3 (iv) Statement giving details of major or minor penalties imposed on the officer, if any, during the last ten years as given in Annexure-4 and (v) Integrity Certificate as given in Annexure-5 and (vi) Cadre Clearance. The Annexure-2 to 5 are available on this Ministry's website (http://wrmin.nic.in) and may be downloaded therefrom.

4. Applications received after the closing date or without prescribed documents or otherwise found incomplete or not in the prescribed Proforma are liable to be rejected. Officers in case of selection for the post will not be allowed to withdraw their candidature subsequently.

5. Before forwarding the applications, Competent Authority must certify that information furnished by the applicants are verified with their Service record and found correct and should also countersign the application with the office seal. It may also be confirmed that in the event of selection for appointment, the officer concerned will be relieved of her/his duties.

6. The detailed of advertisement including the terms and conditions is available on this Ministry's website (http://wrmin.nic.in) and may be seen therefrom.

7. This may please be given wide circulation in the various units of your organization.

Yours faithfully,

Encl.: Annexure 1 to 5

(Chandan Mukherjee)
Deputy Secretary to the Govt. of India
Tele No. 23711459

Copy to:

1. GM, FBP, with request for uploading the enclosed advertisement on the FBP's website immediately.
2. Shri. R.N. Dixit, Under Secretary (E-III & Parl.), 4th Floor (Room No. 435), Ministry of Water Resources, RD & GR, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001.
3. NIC with request for uploading the enclosed advertisement on the Ministry's website.

Annexure-1

1.	Name of Post	:	Executive Engineer (Civil) and Executive Engineer (Mechanical)
2.	Number of Posts	:	07 (seven) posts of Executive Engineer (Civil) and 01 (one) post of Executive Engineer (Mechanical)
3.	Classification	:	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial
4.	Pay Band	:	Pay band-3, Rs.15,600-39,100/- (pre-revised)
5.	Grade Pay	:	Rs. 6600/- (Pre-revised)
6.	Period of deputation	:	Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.
7.	Duties and responsibilities of the post	:	01. A Divisional Office under the charge of an Executive Engineer, is an executive unit directly concerned with procurement of men, material & machinery for speedy & economic execution of the works in its charge & is directly responsible for proper up-keep of the works accounts & implementation of the terms of contracts entered into with various parties viz., Contractors & Suppliers. 02. The Executive Engineer being the Divisional Officers is also responsible for correct compilation of the works, Accounts through the Junior Accounts Officer/Divisional Accountant attached to the Division. The Divisional Officer is primarily responsible for furnishing timely information in cases of likelihood of excess over the estimated costs of the works under his charge. He is required to inspect the more important buildings & works under his charge & is responsible for proper measures to be taken to preserve them in good condition & prevent encroachment on Government land & buildings under his charge. Unlike in the Circle Office different branches exist in the Divisional Office to deal with works, administration, accounts & contracts, the technical matters and to supply the Superintending Engineers, General Manager & Central Office with preliminary data & information on several points for submission to higher authorities/other Departments.
8.	Pay & Allowances	:	The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No.6/8/2009-Estt.(Pay II), dated 17.06.2010 (as amended from time to time).
9.	Qualifications, Experiences and Eligibility required for the post	:	<u>For Executive Engineer (Civil)</u> Officers of the Central Government or State Government or Union Territories :—

(a)(i) holding analogous post in the parent cadre or department on regular basis; or

(ii)with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the sclae of pay Rs. 9300—34800 with grade pay of Rs. 5400 in PB-2 (pre-revised) or equivalent in the parent cadre or department; or

(iii)with six years regular service in the grade pay of Rs. 4800 (pre-revised) or seven years regular service in the grade pay of Rs. 4600 (pre-revised) or ten years regular service in the grade pay of Rs. 4200 (pre-revised) rendered after appointment thereto on regular basis in the pay scale of Rs. 9300—34800 in PB-2 (pre-revised) or equivalent in the parent cadre or department; and

(b)possessing a Degree in Civil Engineering from a recognised University or Institution.

Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

<u>For Executive Engineer (Mechanical)</u>

Officers of the Central Government or State Government or Union Territories :—

(a) (i) holding analogous post in the parent cadre or department on regular basis; or

(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay Rs. 9300—34800 (pre-revised) with grade pay of Rs. 5400 in PB-2 (pre-revised) or equivalent in the parent cadre or department; or

(iii) with six years regular service in the grade pay of Rs. 4800 (pre-revised) or seven years regular service in the grade pay of Rs. 4600 (pre-revised) or ten years regular service in the grade pay of Rs. 4200 (pre-revised) rendered after appointment thereto on regular basis in the pay scale of Rs. 9300—34800 in PB-2 (pre-revised) or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing a Degree in Mechanical Engineering from a recognised University or Institution.

Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

Any officer once selected shall not be allowed to withdraw or refuse to join; and it shall be the responsibility of the sponsoring authority to release the selected officers within one month of the issue of the appointment order.

10. Age	The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications

****

Annexure-2

Bio Data Proforma

1. Name and address (in Block Letters) :
   Telephone Number :
2. Date of Birth (in Christian era) :
3. Date of retirement under Central Government Rules:
4. Educational Qualifications:
5. Whether educational and other qualifications required for the posts are satisfied (if any qualification has been treated as equivalent to those prescribed in the rules, state the authority for the same)

Qualifications / Experience Required	Qualifications / Experience possessed by the Officer
Essential	
Desirable	

6. Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requirements of the post.
7. Details of employment, in chronological order (enclose a separate sheet, duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient)

Office/Institution/ organisation	Post held and service / cadre to which it belongs	From	To	Pay in the pay band and classification of post	Nature of duties

8. Nature of present employment, i.e.,
   (i) Ad-hoc basis
   (ii) Regular / on temporary basis
   (iii) Pay in the Pay Band
   (iv) Grade Pay drawn

9. In case the present employment is held on deputation / contract basis, please state:
   (a) The date of initial appointment
   (b) Period of appointment on deputation / contract
   (c) Name of the parent office/organisation to which you belong

10. Additional details about present employment. Please state whether working under:
   (a) Central Government
   (b) State Government
   (c) Autonomous organisation
   (d) Government Undertaking
   (e) Universities

115

11. Are you in the Revised Pay Structure? If yes, give the Date from which the revision took place and also Indicate the pre-revised scale
12. Total emoluments per month now drawn:
13. Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post. Enclose a separate sheet, if the space is insufficient.
14. Whether belonging to SC/ST
15. Remarks

Signature of the candidate

Date :

It is certified that information furnished by the applicant is verified with his / her service record and found correct.

Countersigned with office seal by the authorized signatory of the parent office

Signature of the Competent Authority

Annexure-3

VIGILANCE CLEARANCE CERTIFICATE

Certified that no vigilance case or disciplinary proceedings or criminal proceedings is either pending or contemplated against Dr./Shri/Smt./Ms.., who has applied for the post of ______________________________ in the ____ on deputation basis.

(Authorised signatory)
Name & Office Seal :
Date:

Annexure-4

NO PENALTY CERTIFICATE

Certified that no minor/major penalty has been imposed during the last ten years on Dr./Shri/Smt./Ms.., who has applied for the post of ______________________________ in the ____ on deputation basis.

(Authorised signatory)
Name & Office Seal :
Date:

Annexure-5

INTEGRITY CERTIFICATE

After scrutinizing Annual Confidential Report of Dr./Shri/Smt./Ms.., who has applied for the post of ______________________________ in the ____ on deputation basis, it is certified that his/her integrity is beyond doubt.

(To be signed by an officer of the rank of Deputy Secretary or above)
Name & Office Seal :
Date: